BABASAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY
LUCKNOW
प्रज्ञा शील करुणा
ESTABLISHED 1996

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
विद्या विहार, रायबरेली रोड, लखनऊ–226025

BABASAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY

(A Central University)
Vidya Vihar, Rae Bareli Road, Lucknow-226025

पत्रांक : 1194/BBAU/18 दिनांक: 10/09/18

परिपत्र

वर्ष 2018-19 मे दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तगत समय-सारिणी के अनुसार 30 सितम्बर 2018 तक छात्रवृत्ति वितरण हेतु समयान्तगत कार्यवाही पूर्ण किए जाने के संबंध मे ।

निदेशालय समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश से प्राप्त पत्रांक C-2043/स॰क॰/शिक्षा-आ/3/48/2018-19 दिनांक सितम्बर 06, 2018 (प्रति संलग्न) मे वर्णित उपरोक्त विषयक के निर्देश के संबंध मे नवीनीकरण हेतु पात्र समस्त छात्र / छात्राओं को अवगत / सूचित करना है कि वे अपना आवेदन 11.09.2018 को साँय 03:00 बजे तक अनु॰ जाति / अनु॰ जनजाति प्रकोष्ठ मे जमा करना सुनिश्चित करें ताकि 30 सितम्बर 2018 तक समाज कल्याण निदेशालय द्वारा नवीनीकरण वाले छात्रों खाते मे धनराशि अन्तरण के संबंध मे आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके ।

नोडल अधिकारी
(दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति)

संलग्नकः- उपरोक्तानुसार
प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत ।

1. समस्त विभागों/पाठ्यक्रमों के विभागाध्यक्ष/समन्वयक।
2. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, बा॰भी॰अ॰वि॰, लखनऊ।
3. अनुभाग अधिकारी, कुलपति, बा॰भी॰अ॰वि॰, लखनऊ।
4. कुलसचिव के निजी सचिव, बा॰भी॰अ॰वि॰, लखनऊ।
5. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट, बा॰भी॰अ॰वि॰, लखनऊ।
6. नोटिस बोर्ड/गार्ड फाइल।

नोडल अधिकारी
(दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति)

निदेशालय समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक 6-2643/स0क0/शिक्षा–अ/3/48/2018–19

लखनऊ:दिनांक: सितम्बर 06 ,2018

समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

विषयः वर्ष 2018–19 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत समय–सारिणी के अनुसार 30 सितम्बर 2018 तक छात्रवृत्ति वितरण हेतु समयान्तर्गत कार्यवाही पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में।

आप अवगत हैं कि शासनादेश संख्या 181/2018/ 2874(1)26–3–2018
दिनांक 30 अगस्त 2018 द्वारा समय–सारिणी में छात्रों के आवेदन करने से
लेकर अन्य प्रक्रियाओं में संशोधन करते हुये समय–सीमा में वृद्धि की गयी है।

दिनांक 02 अक्टूबर 2018 को समस्त जनपदों में छात्रवृत्ति वितरण शिविरों
का आयोजन समय–सारिणी में दी गयी व्यवस्था के अनुसार किया जाना है। इस
सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं पर समयबद्ध ढंग से कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है:–

1– सभी संस्थाओं की पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार एवं फीस आदि विवरण
को प्रत्येक स्थिति में विश्वविद्यालय एवं अन्य अफलियेटिंग एजेन्सी से 10
सितम्बर 2018 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें तथा समानान्तर रूप से आपके
द्वारा भी 20 सितम्बर 2018 तक समस्त पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार एवं फीस
आदि का विवरण लाक किया जाना है।

2– सभी संस्थाओं को यह निर्देशित कर दें कि 31 अगस्त 2018 तक भरे गये
एवं 06 सितम्बर 2018 तक छात्र द्वारा जमा किये गये आवेदन पत्रों को प्रत्येक
स्थिति में दिनांक 12 सितम्बर 2018 तक अग्रेसित (Forward) कर दें।
अग्रेसण (Forwarding) में नवीनीकरण (Renewal) वाले छात्रों को पहले
अग्रेसित कर दिया जाय जिससे कि 30 सितम्बर 2018 तक धनराशि का अन्तरण
नवीनीकरण (Renewal) वाले छात्रों के खाते में किया जा सके।

3– दिनांक 21 सितम्बर 2018 से 26 सितम्बर 2018 तक जनपद स्तरीय
विभागीय अधिकारी को जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के अनुमोदन के
उपरान्त डिजिटल हस्ताक्षर से नवीनीकरण (Renewal) के छात्रों का डाटा
लाक किया जाना है।

4– छात्रों का डाटा लाक करते समय 26 जून 2018 को जारी अनुसूचित
जाति/जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली एवं अनुसूचित जाति/
जनजाति एवं सामान्य वर्ग के लिये जारी पूर्व की नियमावलियों के प्राविधानों का
भली–भांति अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5– शुल्क आदि का विवरण भली–भांति परीक्षण करके ही लाक किया जाय,
क्योंकि छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का वितरण नवीनीकरण (Renewal) के
सही (Correct) डाटा वाले छात्रों को 30 सितम्बर 2018 तक समय–सारिणी
के अनुसार किया जाना है।

10/9/18
S.D./SA/Asstt.

6— दिनांक 02 अक्टूबर 2018 को छात्रवृत्ति वितरण समारोह के लिये आवश्यक तैयारी पूर्व से सुनिश्चित कर ली जाय।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त बिन्दुओं पर समयबद्ध ढंग से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

(जगदीश प्रसाद)
निदेशक

पृष्ठाकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— प्रमुख सचिव,उत्तर प्रदेश शासन,समाज कल्याण अनुभाग—3

2— निदेशक, जनजाति विकास/पिछडा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश।

3— समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

4— राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी/वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई, लखनऊ।

5 — समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।

(जगदीश प्रसाद)
निदेशक